[2018] 13 एस.सी.आर 1204

सामान्य कारण

बनाम

भारत संघ एवं ओआरएस.

(रेरे में: सारदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड)

(2015 का आईए नंबर 40, 2015 का आईए नंबर 42, 2015 का आईए नंबर 61)

2015 का नंबर 40 और 2018 का आईए नंबर 111989)

में

(रिट याचिका (सी) संख्या 114 ऑफ़ 2014)

12 नवंबर 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता, जे.जे.]

पर्यावरण कानून: सारदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमपीएल) के खनन पट्टे में शामिल अवैधताएं – वर्तमान मामले में, एसएमपीएल को 13.7.1999 को 1.4 एलटीपीए लौह अयस्क निकालने की अनुमति दी गई थी – हालांकि, एसएमपीएल को 22.9.2004 को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। जिसमें लौह अयस्क (गांठ) के उत्पादन को 1.5 एलटीपीए से बढ़ाकर 4.0 एमटीपीए करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था – एसएमपीएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता और पर्यावरणीय मंजूरी के बिना/अधिक लौह अयस्क के उत्पादन को चुनौती दी गई – आयोजित: अनुमति 13.7.1999 को दी गई मंजूरी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए थी न कि लौह अयस्क (गांठ) के लिए – यहां तक कि एमएमडीआर अधिनियम में खनिज लौह अयस्क का उल्लेख है न कि लौह अयस्क (गांठ) के लिए – इसलिए, 22.9.2004 को दी गई पर्यावरण मंजूरी को समझा जाना चाहिए 13.7.1999 को दी गई अनुमति और एमएमडीआर अधिनियम के संदर्भ में – पर्यावरण मंजूरी का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है – यह दी गई तारीख से चालू है – इसलिए, एसएमपीएल द्वारा 13/14.8.2001 से खनन गतिविधि की गई। पर्यावरण मंजूरी की तारीख 22.9.2004 1.4 एलटीपीए की सीमा तक वैध है और इस अवधि के दौरान इस खनन गतिविधि के लिए एसएमपीएल को दंडित नहीं किया जा सकता है – चूंकि पर्यावरण मंजूरी का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होता है, उत्पादन का पहला वर्ष 2004–2005 होगा (प्रो) रटा) पर्यावरणीय मंजूरी के आधार पर – रिकॉर्ड से पता चला कि उत्पादन के पहले वर्ष से ही लौह अयस्क का अतिरिक्त खनन हुआ था – यह अतिरिक्त खनन स्पष्ट रूप से अवैध था और इसे दंडित किया जाना चाहिए – केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को जुर्माना निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है 22.9.2004 से एसएमपीएल पर लगाया जाएगा और पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के आधार पर – खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957।

लौह अयस्क: पर्यावरणीय मंजूरी – खनिज लौह अयस्क का निष्कर्षण लौह अयस्क का निष्कर्षण है। (आरओएम) – लौह अयस्क की गांठें आरओएम के उप–उत्पाद हैं – तत्काल मामले में, खनिज लौह अयस्क निकालने के लिए एसएमपीएल को 13.7.1999 को अनुमति दी गई थी – इसमें उप–श्रेणी या उप–उत्पाद का कोई संदर्भ नहीं था लौह अयस्क (गांठ) कहा जाता है लेकिन इसे खनिज लौह अयस्क आरओएम निकालने की

अनुमति के रूप में समझा जाना चाहिए – यह वह अनुमति थी जिसे उत्पादन के विस्तार के लिए प्रस्तावित करने की मांग की गई थी – 22.9.2004 को पर्यावरण मंजूरी केवल लौह अयस्क आरओएम के संदर्भ में थी – इसे एमएमडीआर अधिनियम के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो खनिज लौह अयस्क को संदर्भित करता है और लौह अयस्क (गांठ) को संदर्भित नहीं करता है – वैधता के संबंध में सीईसी की रिपोर्ट पर एसएमपीएल द्वारा उठाई गई आपत्तियों में कोई योग्यता नहीं है पर्यावरणीय मंजूरी या एसएमपीएल द्वारा लौह अयस्क का अतिरिक्त या अवैध खनन।

आईए का निपटान करते हुए, न्यायालय ने कहा:

पर्यावरण मंजूरी में पेश की गई लौह अयस्क (गांठ) के निष्कर्षण या उत्पादन की अवधारणा 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति और एमएमडीआर अधिनियम से अलग थी। इसलिए, 22 सितंबर, 2004 को दी गई पर्यावरण मंजूरी को 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति और एमएमडीआर अधिनियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। एसएमपीएल द्वारा 13/14 अगस्त 2001 से पर्यावरण मंजूरी की तारीख यानी 22 सितंबर 2004 तक की गई खनन गतिविधि 1.4 एलटीपीए की सीमा तक वैध है और इस अवधि के दौरान इस खनन गतिविधि के लिए एसएमपीएल को दंडित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 8,10][1209–एच; 1210–ए–बी; 1211–बी]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड बनाम म.प्र. राज्य **(2004) 6 एससीसी 281 : [2004] 2 पूरक। एससीआर 1;** *टाटा स्टील लिमिटेड बनाम भारत संघ* **(2015) 6 एससीसी 193: [2015] 6 एससीआर 29 – पर भरोसा किया गया।**

सामान्य कारण बनाम उड़ीसा राज्य। **(2017) 9 एससीसी 499 – संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

(2017) 9 एससीसी 499 पैरा 2 में संदर्भित

[2004] 2 पूरक। एससीआर 1 पैरा 16 पर निर्भर था

[2015] 6 एससीआर 29 पैरा 17 पर निर्भर था

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: आई.ए. 2015 की संख्या 40, आई.ए. 2015 की संख्या 42, आई.ए. 2015 की संख्या 61 I.A. 2015 की संख्या 40 और 2018 की आईए संख्या 111989 रिट याचिका (सी) 2014 की संख्या 114

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

हरीश एन. साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. डी. एन. राव, सुदीप्तो सरकार, सिद्धार्थ चौधरी, सुश्री अपराजिता सिंह, सलाहकार। उनके साथ (ए.सी.)

राकेश द्विवेदी, मुकुल रोहतगी, सुश्री वी. मोहना, ए.के. पांडा, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, राहुल गुप्ता, शिबाशीष मिश्रा, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री। सिन्दूरा वीएनएल, सुश्री शिवानी तुशीर, सुश्री कीर्ति आर. मिश्रा, सुश्री संसृति पाठक, सुश्री अपूर्वा उपमन्यु, एकलव्य द्विवेदी, नवीन कुमार, सौरभ किरपाल, श्रीमती नंदिनी गोरे, सुश्री खुशबू बारी, सुश्री नताशा सहरावत, सुश्री नेहा खंडेलवाल, सुश्री सुशील जेठमलानी, संजय कुमार पाठक, सुश्री आकांक्षा कौल, गुरुमीत सिंह मक्कड़, बालेंदु शेखर, पी.के.

मुलिक, अतुलेश कुमार, राज बहादुर, बी.के. प्रसाद, सुनील डोगरा, विवेक विश्नोई, अभिषेक शर्मा, संजय कपूर, सुश्री मेसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए शीना ताकी, अनिल कुमार, सुश्री मानसी कपूर, सुश्री शुभ्रा कपूर, बैज नाथ पटेल, सुश्री प्रत्युषा प्रियदर्शनी। मनोज के. सिंह, अनुराग अभिषेक, प्रेम प्रकाश, राज कुमार मेहता, सुश्री। हिमांशी एंडली, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए|

न्यायालय का निर्णय **मदन बी. लोकुर, जे.**

1 द्वारा दिया गया था। ठोस आवेदनों के इस बैच में, हम केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा "सरदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड के खनन पट्टे में शामिल अवैधताओं" के रूप में वर्णित की गई बातों से चिंतित हैं। 16 अक्टूबर, 2014 की अपनी रिपोर्ट में।

2. इन आवेदनों से जुड़े सभी तथ्यों को दोहराना आवश्यक नहीं है क्योंकि पृष्ठभूमि पहले ही ***कॉमन कॉज़ बनाम उड़ीसा राज्य*** में हमारे द्वारा विस्तृत की जा चुकी है।

3. सारदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड के खनन पट्टे से निपटने के दौरान, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति या सीईसी सात मुद्दों से चिंतित थी। वे हैं:

1. खनन पट्टे के नवीनीकरण के संबंध में।

2. पर्यावरण मंजूरी की वैधता के संबंध में।

3. सारदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आरओएम के रूप में लौह अयस्क की बिक्री के संबंध में।

4. खनन एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए अतिरिक्त भूमि के डायवर्जन के संबंध में

5. पर्यावरणीय मंजूरी के बिना/अतिरिक्त लौह अयस्क के उत्पादन के संबंध में।

6. नियम 37, एमसीआर, 1960 [खनिज रियायत नियम 1960] के कथित उल्लंघन के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई जांच के संबंध में।

7. खनन पट्टे का कथित स्वामित्व वास्तव में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के पास होने के संबंध में।

4. वर्तमान में, हम केवल सारदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड या एसएमपीएल को दी गई पर्यावरण मंजूरी की वैधता और बिना लौह अयस्क के उत्पादन को लेकर चिंतित हैं। /पर्यावरण मंजूरी से अधिक। यह चिंता 14 अगस्त, 2001 से 13 अगस्त, 2021 तक 20 वर्षों के लिए एसएमपीएल को 947.046 हेक्टेयर भूमि पर दिए गए खनन पट्टे से संबंधित है। खनन पट्टा ओडिशा में ठकुरानी माइंस, ब्लॉक बी, ग्राम सोयाबली, जिला क्योंझर का है। हम एसएमपीएल को खनन पट्टे के अनुदान या नवीनीकरण की वैधता या अन्यथा से चिंतित नहीं हैं।

खनन की अनुमति प्रदान करना

5. यह हमें बताया गया है और यह विवादित नहीं है, कि एसएमपीएल को 13 जुलाई, 1999 को प्रति वर्ष 1,40,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क निकालने की अनुमति दी गई थी। दी गई अनुमति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यह फिर से खोलने के संदर्भ में है (94.024 एकड़ के टूटे हुए क्षेत्र की सीमा तक) मौजूदा खदान जहां 1966 के दौरान उप निदेशक (खान) द्वारा प्रमाणित सबसे अधिक उत्पादन 1,39,802.00 मीट्रिक टन था। उक्त निष्कर्षण या उत्पादन लौह अयस्क का था और 1999 में दी गई अनुमति भी लौह अयस्क के निष्कर्षण

या उत्पादन के लिए थी। यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप था जो खनिज लौह अयस्क के खनन की अनुमति देता है।

13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति इस प्रकार है:

"विषय: जिला क्योंझर, उड़ीसा में ठकुरानी लौह अयस्क खदानों के गांव सोयाबली में ब्लॉक–बी में लौह अयस्क खदानों को फिर से खोलना – स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

इसमें आपके और श्री एम.एल. के संयुक्त रूप से 10 जून 1999 के पत्र का संदर्भ है। सारदा ने 1994 की ईआईए अधिसूचना के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण मांगा है। हमने निम्नलिखित नोट किया है:

(i) इस्पात और खान विभाग, उड़ीसा सरकार ने एक क्षेत्र को कवर करने वाले ब्लॉक–बी के संबंध में खनन पट्टे को नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है। ग्राम सोयाबली में ठकुरानी लौह अयस्क खदान की 2340.20 एकड़ जमीन श्री एस.एल. के पक्ष में। सारदा और श्री एम.एल. सारदा.

(ii) संपूर्ण पट्टा क्षेत्र आरक्षित वन में है जिसके लिए आरक्षण प्रस्ताव डीएफओ, क्योंझर द्वारा पीसीसीएफ, भुवनेश्वर को भेज दिया गया है।

(iii) पहले से ही टूटा हुआ क्षेत्र 94.024 एकड़ है।

(iv) जैसा कि डिप्टी द्वारा प्रमाणित है, 1966 के दौरान ब्लॉक–बी खदानों से उच्चतम उत्पादन 1,39,802.00 मीट्रिक टन था। निदेशक (खान), जोडा, क्योंझर ने अपने पत्र क्रमांक 7892 दिनांक 26.5.99 में।

(v) खनन योजना के अनुमोदन के लिए "संचालन की सहमति" प्राप्त करने के लिए उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईबीएम को आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि आप टूटे हुए क्षेत्र और उत्पादन स्तर में बदलाव किए बिना 1999 के अंत तक खदान को फिर से खोलने की योजना बना रहे हैं। साथ ही खदान के आधुनिकीकरण की भी कोई योजना नहीं है. यह भी नोट किया गया है कि कार्यशील चरणों में गीली ड्रिलिंग को अपनाया जाएगा। सतही बहाव, खदान जल निर्वहन और ओबी डंप के रोपण के प्रबंधन के अलावा, ढुलाई सड़कों, स्थानांतरण बिंदुओं और क्रशिंग प्लांट पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा।

1994 की ईआईए अधिसूचना के प्रावधान उन खनन पट्टा प्रस्तावों के नवीनीकरण पर लागू नहीं होते हैं जिनमें विस्तार या आधुनिकीकरण शामिल नहीं है। हालाँकि, आपको स्वीकृत खनन योजना के अनुसार उत्खनन को केवल 94.024 एकड़ के पहले से टूटे हुए क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहिए और उत्पादन को 1,40,000 एमटीपीए [टीपीए?] तक सीमित करना चाहिए। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वानिकी मंजूरी सहित संबंधित अधिकारियों से अन्य वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करें और अनुबंध– । में दर्शाए गए सामान्य पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन

सुनिश्चित करें। यदि आप किसी विस्तार या आधुनिकीकरण की योजना बनाते हैं तो बाद में संशोधित ईआईए अधिसूचना 1994 के प्रावधानों के तहत पूर्व अनुमोदन मंत्रालय से प्राप्त किया जाना चाहिए।

6. पुनः, स्वीकृत स्थिति यह है कि एसएमपीएल ने 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति पर 13/14 अगस्त, 2001 तक कार्रवाई नहीं की। स्पष्ट कारण यह है कि एसएमपीएल के पक्ष में खनन पट्टा केवल 13/14 को नवीनीकृत किया गया था। अगस्त, 2001। खनन पट्टे के नवीनीकरण के बाद ही एसएमपीएल ने 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति के आधार पर लौह अयस्क का खनन या निष्कर्षण शुरू किया।

पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करना

7. अगली महत्वपूर्ण तारीख जिसके बारे में हम चिंतित हैं वह है 22 सितंबर, 2004 यही वह तारीख है जिस दिन एसएमपीएल को लौह अयस्क के निष्कर्षण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। एसएमपीएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी लौह अयस्क (गांठ) के उत्पादन को 1.5 लाख टन प्रति वर्ष (एलटीपीए) से बढ़ाकर 4.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) करने के लिए थी। उत्पादन क्षमता में प्रगतिशील उन्नयन हुआ क्योंकि पहले वर्ष के दौरान उत्पादन में 1.5 एलटीपीए से 0.5 एमटीपीए तक वृद्धि की अनुमति दी गई थी; 17 वें वर्ष के दौरान 4.0 एमटीपीए की निर्धारित उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए तीसरे वर्ष तक 3.0 एमटीपीए और पांचवें वर्ष से 3.750 एमटीपीए।

8. हालाँकि, 22 सितंबर, 2004 को एसएमपीएल को दी गई पर्यावरण मंजूरी के बारे में अजीब बात यह है कि इसमें "लौह अयस्क (गांठ) के उत्पादन के विस्तार के प्रस्ताव" को 1.5 एलटीपीए से 4.0 एमटीपीए तक संदर्भित किया गया था। दरअसल, 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति लौह अयस्क के उत्पादन के लिए थी, न कि लौह अयस्क (गांठ) के लिए। एसएमपीएल का मामला यह भी नहीं है कि उसे लौह अयस्क (गांठ) के निष्कर्षण या उत्पादन के लिए 13 जुलाई, 1999 को अनुमति दी गई थी, इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम खनिज लौह अयस्क को संदर्भित करता है न कि लौह अयस्क (गांठ) को। .पर्यावरण मंजूरी में पेश की गई लौह अयस्क (गांठ) के निष्कर्षण या उत्पादन की अवधारणा 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति और एमएमडीआर अधिनियम से अलग थी। इसलिए, 22 सितंबर, 2004 को दी गई पर्यावरण मंजूरी को 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति और एमएमडीआर अधिनियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यदि इसकी सराहना की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि एसएमपीएल को पर्यावरणीय मंजूरी केवल लौह अयस्क के उत्पादन को 1.5 एलटीपीए से 4.0 एमटीपीए तक बढ़ाने से संबंधित दी गई थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह एसएमपीएल का मामला भी नहीं है कि उसे 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति के संदर्भ में 1.4 एलटीपीए की सीमा तक लौह अयस्क (गांठ) निकालने की अनुमति दी गई थी। इसमें पर्यावरण मंजूरी के बारे में हमारी समझ संदर्भ और इस संबंध में जहां तक अनुप्रयोगों में निर्णय का संबंध है, इन कारकों को ध्यान में रखना काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा।

पर्यावरण मंजूरी का पूर्वव्यापी प्रभाव

9. एसएमपीएल के विद्वान वकील ने इस बात का विरोध या विवाद नहीं किया कि पर्यावरण मंजूरी का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होता है। यह स्वीकृत होने की तिथि से चालू है। किसी भी स्थिति में, यह मुद्दा अब रिपोर्ट के पैराग्राफ 87 में ***कॉमनकॉज़*** में दिए गए निर्णय में तय नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रस्तुतीकरण यह था कि पर्यावरण मंजूरी की पूर्वव्यापीता का लाभ एसएमपीएल को उस तारीख से दिया जाना चाहिए जिस दिन खनन

पट्टा नवीनीकृत किया गया था, यानी 13/14 अगस्त, 2001 से। यह दावा करने का कारण लाभ यह है कि विस्तारित अनुमेय उत्पादन अगस्त 2001 से शुरू होगा और एसएमपीएल पर्यावरणीय मंजूरी में दिए गए प्रगतिशील ग्रेडेशन के साथ बड़ी मात्रा में लौह अयस्क निकालने का हकदार होगा, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन का तीसरा वर्ष 2004 और 5 वां वर्ष होगा। उत्पादन का वर्ष 2006 होगा न कि 2009। इसी प्रकार, उत्पादन का 17 वां वर्ष 2018 होगा न कि 2021।

10. हम इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह कॉमन कॉज़ में इस न्यायालय के निर्णय के स्पष्ट रूप से विपरीत है। इसके अलावा, सबमिशन स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि 13/14 अगस्त, 2001 से 22 सितंबर, 2004 तक की अवधि के लिए एसएमपीएल को 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति के साथ-साथ 22 तारीख की पर्यावरणीय मंजूरी का पूर्वव्यापी लाभ भी मिलेगा। सितंबर, 2004 का अर्थ है कि एसएमपीएल के पास दो खनन अनुमतियां होंगी, जो स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। हालाँकि, हम एसएमपीएल को 13 जुलाई, 1999 को दी गई अनुमति का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकते, जिसके आधार पर एसएमपीएल ने खनन पट्टे के नवीनीकरण की तारीख यानी 13/14 अगस्त, 2001 से 22 सितंबर, 2004 तक खनन गतिविधियाँ कीं। यहां तक कि विद्वान न्यायमित्र को भी इस अवधि के लिए एसएमपीएल को अनुमति का लाभ देने में कोई आपत्ति नहीं है, इस हद तक कि एसएमपीएल ने इस अवधि के दौरान 1.4 एलटीपीए लौह अयस्क निकाला या उत्पादित किया। इसलिए, एसएमपीएल द्वारा 13/14 अगस्त, 2001 से पर्यावरणीय मंजूरी की तारीख तक, यानी 22 सितंबर, 2004 तक की गई खनन गतिविधि 1.4 एलटीपीए की सीमा तक वैध है और इस अवधि के दौरान इस खनन गतिविधि के लिए एसएमपीएल को दंडित नहीं किया जा सकता है। अवधि।

11. एसएमपीएल के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि यदि पर्यावरणीय मंजूरी को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यह होगा कि इसकी वैधता खनन पट्टे की अवधि के साथ सह-व्यापक नहीं होगी। परिणामस्वरूप, खनन पट्टे की अवधि के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी का संचालन अनिवार्य रूप से कम कर दिया जाएगा, जिससे एसएमपीएल को नुकसान होगा। यह प्रस्तुतिकरण केवल अस्वीकृत किये जाने हेतु नोट किया गया है। किया गया निवेदन शायद ही पर्यावरण मंजूरी को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का आधार हो सकता है। यदि कानून के क्रियान्वयन के कारण पर्यावरण मंजूरी की अवधि कम हो जाती है, तो ऐसा ही होगा।

12. एसएमपीएल के विद्वान वकील ने हमें ठकुरानी लौह अयस्क खदान, ब्लॉक-बी, जिला क्योंझर, उड़ीसा के प्रस्तावित विस्तार से संबंधित परियोजना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना का सारांश दिखाया है। यह दस्तावेज़ फरवरी 2002 का है और पेपर बुक के खंड 168 के पृष्ठ 25 पर पाया जा सकता है। उन्होंने हमारा ध्यान इसके पृष्ठ 28 की ओर आकर्षित किया है जो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का उपयोग करके ओपन-कास्ट विधि द्वारा प्रस्तावित खनन से संबंधित है। उत्पादन बिल्ड-अप एक चार्ट के रूप में दिया गया है लेकिन इसमें उत्पादन का पहला वर्ष 2001-2002 लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस धारणा पर है कि पर्यावरण मंजूरी 2001 में खनन पट्टे के नवीनीकरण की तारीख से संबंधित है। हालांकि, चूंकि हमने माना है कि पर्यावरणीय मंजूरी का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होता है और नहीं हो सकता है, इसलिए उत्पादन के पहले वर्ष में ऐसा होना चाहिए। तथ्य यह है कि पर्यावरण मंजूरी के आधार पर 2004-2005 (आनुपातिक) हो। एसएमपीएल के विद्वान वकील द्वारा बताए गए चार्ट के आधार पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्पादन के पहले वर्ष से ही लौह अयस्क का अतिरिक्त खनन हुआ है। यह अतिरिक्त खनन स्पष्ट रूप से अवैध है और कॉमन कॉज़ में हमारे फैसले के अनुसार इसे दंडित किया जाना चाहिए।

13. हम 22 सितंबर, 2004 से एसएमपीएल पर लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा निर्धारित करने और पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के आधार पर इसे केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) पर छोड़ते हैं। गणना में हमारे निष्कर्ष को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पर्यावरणीय मंजूरी पूर्वव्यापी नहीं है और एसएमपीएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के मद्देनजर उत्पादन का पहला वर्ष 2004–2005 होगा। एसएमपीएल द्वारा पर्यावरण मंजूरी से अधिक का कोई भी खनन अवैध होगा।

लौह अयस्क (गांठ) का निष्कर्षण

14. हमारे सामने विवाद का मुख्य मुद्दा एसएमपीएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में प्रयुक्त शब्दावली में है – चाहे वह लौह अयस्क (गांठ) या खनिज लौह अयस्क निकालने का हकदार था। पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित सीमाएँ।

15. इस विवाद को सुलझाने से पहले यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि खनिज लौह अयस्क का निष्कर्षण लौह अयस्क रन ऑफ माइन या आरओएम का निष्कर्षण है। लौह अयस्क के टुकड़े, एक अर्थ में, आरओएम के उप–उत्पाद हैं जैसे ऊपरी मिट्टी, खनिज अस्वीकृत, उप–ग्रेड अयस्क और बारीकियां और किए गए भेद रॉयल्टी के भुगतान के प्रयोजनों के लिए हैं। एसएमपीएल के विद्वान वकील का कथन इस आशय का है कि एसएमपीएल पर्यावरणीय मंजूरी के संदर्भ में लौह अयस्क (गांठ) निकालने का हकदार था। यदि इस प्रस्तुतिकरण को शाब्दिक रूप से लिया जाए, तो एसएमपीएल लौह अयस्क आरओएम निकाले बिना केवल लौह अयस्क (गांठ) निकालने का हकदार था। यह काफी हद तक पोर्टिया द्वारा दिए गए तर्क के समान होगा, जिससे शाइलॉक खून की एक बूंद गिराए बिना अपना आधा किलो मांस निकाल सकेगा। हालाँकि, हमें इस संबंध में केवल शब्दार्थ पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

16. यह गांठ लौह अयस्क के निष्कर्षण का उप–उत्पाद है, यह ***राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** मामले में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है। जिसमें इस न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा वर्णित खनिज को जीतने की प्रक्रिया को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया:

> "लौह अयस्क का भंडार ज्यादातर पहाड़ी श्रृंखलाओं में होता है और लौह अयस्क पहाड़ी की चोटी पर यानी सतह पर पाया जाता है। जिस प्रक्रिया से खनिज प्राप्त किया जाता है उसे अपीलकर्ता द्वारा इस प्रकार वर्णित किया गया है:
>
> > "अयस्क को खनन की खुली विधि द्वारा निकाला जाता है जिसके लिए खनन बेंच तैयार की जाती हैं। सबसे पहले, अयस्क के प्रकार के आधार पर बेंच की पूरी ऊंचाई को कवर करते हुए नियमित दूरी पर बेंच पर छेद ड्रिल किए जाते हैं। छेदों को विस्फोटकों से चार्ज करने के बाद बेंच के इस हिस्से को विस्फोट से उड़ा दिया जाता है। **विस्फोटित सामग्री जिसे आरओएम (रन–ऑफ–माइन्स) के रूप में जाना जाता है, में अन्य संदूषकों के साथ बड़े पत्थर, टुकड़े और बारीक पदार्थ होते हैं। ROM को डंपरों द्वारा क्रशिंग प्लांट में ले जाया जाता है और 150 मिमी से कम आकार में कुचल दिया जाता है। इस कुचले हुए ROM में गांठ, बारीक पदार्थ और एल्यूमिना और सिलिका जैसे प्रदूषक भी होते हैं।** कुचले हुए अयस्क को कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्क्रीनिंग प्लांट में ले जाया जाता है और पानी से धोया जाता है और कंपन स्क्रीन में

जांचा जाता है। कंपन स्क्रीन अयस्क को अलग–अलग आकारों में अलग करती हैं जैसे गांठ, अंशांकित अयस्क और बारीकियां..." (जोर हमारे द्वारा दिया गया है)।

17. इसी प्रकार, टाटा स्टील लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया3 में यह देखा गया कि खनन की प्रक्रिया में, लौह अयस्क को निकाला जाता है (अर्थात् ROM) और अयस्क के ढेर, बारीक और अपशिष्ट पदार्थ में अलग किया जाता है, जिसे आमतौर पर कीचड़ के रूप में जाना जाता है।

18. इस दृष्टि से देखें तो वह संदर्भ महत्वपूर्ण है जिसमें 13 जुलाई, 1999 को एसएमपीएल को अनुमति दी गई थी। एसएमपीएल को खनिज लौह अयस्क निकालने की अनुमति दी गई थी। इसमें लौह अयस्क (गांठ) नामक उप–श्रेणी या उप–उत्पाद का कोई संदर्भ नहीं था, लेकिन इसे खनिज लौह अयस्क ROM निकालने की अनुमति के रूप में समझा जाना चाहिए। यह वह अनुमति थी जिसे उत्पादन के विस्तार के लिए प्रस्तावित करने की मांग की गई थी और यदि इसे समसामयिक या ऐतिहासिक (जो भी) पृष्ठभूमि में देखा जाए, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 22 सितंबर, 2004 को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी केवल लोहे के संदर्भ में थी। अयस्क रॉम. इसे एमएमडीआर अधिनियम के संदर्भ में भी पढ़ा जाना चाहिए जो खनिज लौह अयस्क को संदर्भित करता है और लौह अयस्क (गांठ) को संदर्भित नहीं करता है। इन दो कारकों का संयोजन हमें आश्वस्त करता है कि एसएमपीएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी केवल लौह अयस्क आरओएम और नोटिआयन अयस्क (गांठ) के संदर्भ में थी, पर्यावरणीय मंजूरी में प्रयुक्त शब्दावली के बावजूद।

19. एसएमपीएल के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रचारित दृष्टिकोण को अपनाने से एक विषम स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसमें एक अनुमेय मात्रा के लौह अयस्क (गांठ) को निकालने के प्रयोजनों के लिए, एसएमपीएल जितना चाहे उतना लौह अयस्क आरओएम निकाल सकता है। दूसरे शब्दों में, 4.0 एमटीपीए लौह अयस्क (गांठ) निकालने के प्रयोजनों के लिए क्या यह कहा जा सकता है कि एसएमपीएल 6.0 एमटीपीए या यहां तक कि 8.0 एमटीपीए की सीमा तक लौह अयस्क आरओएम निकालने का हकदार था? इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक है अन्यथा एसएमपीएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी का कोई भी तर्कसंगत अर्थ नहीं होगा। इसे भी ध्यान में रखते हुए, हमें यह प्रतीत होता है कि यद्यपि एसएमपीएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी अप्रसन्नतापूर्वक कही गई थी, लेकिन इसे यथार्थवादी अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि यह अस्पष्टता के आधार पर अप्रभावी न हो और पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। एसएमपीएल को भी नुकसान हुआ।

20. इस संदर्भ में, पेपर बुक के वॉल्यूम 168 में एसएमपीएल द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए फरवरी 2002 के प्रोजेक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना के सारांश का उल्लेख करना आवश्यक है। उसके पृष्ठ 28 पर तालिका या चार्ट और जो दस्तावेज़ का एक हिस्सा है, इंगित करता है कि लौह अयस्क (गांठ) के उत्पादन अयस्क निष्कर्षण के लिए प्रस्तावित लौह अयस्क आरओएम की कुल खुदाई मात्रा से लगभग दोगुनी है। चार्ट इस प्रकार है:

साल	गांठ अयस्क (+ 5 – 180 मी और 30+ 18 मी)	कुल उत्खनन (एम टी)	ROM (एम टी)	शीर्ष मिट्टी (एम टी)	खनिज अस्वीकृत(एम टी)	सबग्रेड अयस्क (एम टी)	जुर्माना, – 5 मिमी (एम टी)

	(एम टी)						
1 वर्ष 2001–2002	0.500	1.151	0.770	0.000	0.349	0.032	0.270
2 वर्ष 2002–2003	1.196	2.159	1.840	0.000	0.267	0.052	0.644
3 वर्ष 2003–2004	1.976	3.499	3.040	0.000	0.121	0.338	1.064
4 वर्ष 2004–2005	2.990	4.829	4.600	0.000	0.183	0.046	1.610
5 वर्ष 2005–2006	3.750	6.058	5.770	0.000	0.231	0.057	2.020
उप योग	10.412	17.696	16.020	0.000	1.151	0.525	5.606
2007–2011	18.750	33.571	28.850	0.024	1.342	3.355	10.100
2012–2016	18.750	33.547	28.850	0.000	1.342	3.355	10.100
2017–2021	20.00	35.779	30.770	0.000	1.431	3.578	10.770
कुल योग	67.912	120.593	104.90	0.024	5.266	10.813	36.576

21. उपरोक्त चार्ट से भी यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि एसएमपीएल के विद्वान वकील द्वारा पर्यावरण मंजूरी के लिए जो व्याख्या मांगी गई थी, उसका इरादा कभी नहीं था और यदि ऐसा था, तो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह होगा कि पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखा जाना चाहिए। अमान्य और रद्द कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप एसएमपीएल के हितों को अनुमान से अधिक नुकसान होगा। पर्यावरणीय मंजूरी की यथार्थवादी व्याख्या पर, लौह अयस्क के अतिरिक्त या अवैध उत्पादन की गणना के प्रयोजनों के लिए, लौह अयस्क आरओएम के संपूर्ण निष्कर्षण को ध्यान में रखना आवश्यक है।

22. हम इस संदर्भ में नोट कर सकते हैं कि यह रिकॉर्ड में आया है कि एसएमपीएल द्वारा निकाला गया संपूर्ण लौह अयस्क आरओएम वास्तव में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड या जेएसपीएल को बेचा जाता है और यह केवल लौह अयस्क (गांठ) नहीं है जो जेएसपीएल को बेचा जाता है। . इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, एसएमपीएल और जेएसपीएल के बीच संबंधों का मुद्दा उठता है लेकिन फिलहाल हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हालाँकि, जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि एसएमपीएल द्वारा जेएसपीएल को लौह अयस्क आरओएम की बिक्री की जाती है, न कि लौह अयस्क (गांठ) की बिक्री। दूसरे शब्दों में, एसएमपीएल अपने लौह अयस्क आरओएम के निष्कर्षण और उत्पादन का पूरा लाभ उठाने की इच्छुक है, लेकिन साथ ही इसके बाद होने वाले कानूनी परिणामों से भी बच रही है।

23. एसएमपीएल के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि सीईसी ने खुद को लौह अयस्क आरओएम के निष्कर्षण या उत्पादन और लौह अयस्क (गांठ) के निष्कर्षण या उत्पादन के बीच भ्रमित कर दिया है और परिणामस्वरूप, यह अतिरिक्त या अवैध के गलत आंकड़े पर पहुंच गया है। एसएमपीएल द्वारा खनन। वास्तव में, तर्क यह है कि एसएमपीएल न तो किसी अतिरिक्त या अवैध खनन में शामिल रहा है और सीईसी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से गलत हैं। उपरोक्त चर्चा, जिसमें एसएमपीएल के आचरण और गतिविधियां, एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधान और वह संदर्भ जिसमें एसएमपीएल को अनुमति और पर्यावरण मंजूरी दी गई

थी, को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रस्तुतिकरण को स्वीकार नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में, हम पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता या एसएमपीएल द्वारा लौह अयस्क के अतिरिक्त या अवैध खनन के संबंध में सीईसी की रिपोर्ट पर एसएमपीएल द्वारा उठाई गई आपत्तियों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

24. हालाँकि, हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, सीईसी को एसएमपीएल द्वारा किए गए अत्यधिक या अवैध खनन की मात्रा और परिणामी दंड पर फिर से काम करना पड़ सकता है। इसके लिए, हम सीईसी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 6 सप्ताह का समय देते हैं। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक सभी रिकॉर्ड एसएमपीएल और संबंधित अधिकारियों द्वारा सीईसी को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

25. मूल आवेदनों का निपटारा उपरोक्त सीमा तक और उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

देविका गुजराल आईए का निस्तारण

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।